न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री उत्साह चौधरी (I.A.S.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या **30 / 2015** दायर तारीख 14 / 07 / 2015

अनवान

1. सत्यनारायण पुत्र प्यारा जाति लौहार उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी गोपालपुरा हाल सामरिया तहसील बेगू जिला चित्तौड़गढ।
2. दौला पुत्र प्यारा जाति लौहार उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी गोपालपुरा हाल सामरिया तहसील बेगू जिला चित्तौड़गढ।

..........वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र देबी जाति लौहार उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी गोपालपुरा तहसील माण्डलगढ।
2. सोहनी पुत्री देबी पत्नि नानालाल जाति लौहार उम्र वयस्क व्यवसाय गृहस्थी निवासी गोपालपुरा तहसील माण्डलगढ हाल रामपुरियां तहसील बेगू।
3. कस्तूरी पुत्री देबी पत्नि छीतर जाति लौहार उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी गोपालपुरा तहसील माण्डलगढ।
4. विमला पुत्री गुलाबी (नाना देवी) जाति लौहार उम्र 22 वर्ष व्यवसाय गृहस्थी निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ।
5. लादू पुत्र रूगनाथ जाति लौहार उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलियां।
6. भैरू पुत्र रूगनाथ जाति लौहार उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलियां
7. बाबू पुत्र रूगनाथ जाति लौहार उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलियां।
8. धर्मराज पुत्र रूगनाथ जाति लौहार उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलियां।
9. प्यारी पुत्री रूगनाथ पत्नि कैलाश जाति लौहार उम्र वयस्क व्यवसाय गृहस्थी निवासी हाल रतनगढ जिला नीमच मध्यप्रदेश।
10. प्रेम पुत्री रूगनाथ पत्नि रामेश्वर जाति लौहार उम्र वयस्क व्यवसाय गृहस्थी निवासी काकरिया (सिंगोली) मध्यप्रदेश।
11. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. बैक ऑफ बडोदा शाखा बिजौलियां मार्फत शाखा प्रबन्धक महोदय बिजौलियां।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01. श्री गिरधारीलाल आचार्य – विद्वान अधिवक्ता वादीगण
02. श्री ओमप्रमकाश शर्मा – विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राज0 का0 अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 31/03/**2021**

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 12.06.2019 को प्राथमिक डि्क्री किया जाकर ग्राम गोपालपुरा स्थित आराजी नम्बर 590, 619, 620, 621, 622 कुल किता 5 रकबा 9–09 बीघा भूमि का जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेदार अनुसार बाई मीटस एवं बाउण्डस

लगातार पेज संख्या 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

के आधार पर विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया तहसीलदार बिजौलिया ने अपने पत्रांक/राजस्व/2020/280 दिनांक 02.03.2020 को प्रस्तुत कियें। सलंग्न पत्रावली है। प्राप्त प्रस्ताव अधिवक्ता वादीगण को स्वीकार है।

अतः वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01	रामलाल गोविन्द शंकर पि. कैलाश गटट पुत्री कैलाश सम्पति पत्नि कैलाश सोहनी कस्तुरी पि. देबी विमला माता गुलाबी लौहार सा0 देह खातेदार	गोपालपुरा	619/2 622	0–14 2–09	बंजड़ चा. I 1–19 जा. I 0–10	0–21 13–20
	योग		किता 2	**3–03**		**13–41**
02	लादू भैरू बाबू धर्मराज प्यारी प्रेम पि. सुगनलाल लौहार सा. देह खातेदार रहन वीआरकेजीबी शा. विजौलियां हिस्सा भैरू धर्मराज का	गोपालपुरा	619/1 620 621	0–19 0–10 2–07	बंजड़ बा. II जा. I 0–17 चा. I 0–10	0–29 0–35 11–55
	योग		**किता 03**	**3–16**		**12–19**
03	सत्यनारायण, दोला पिता. प्यारा लौहार सा. देह खातेदार	गोपालपुरा	590	2–10	जा.उ. 1–00 चा. I 1–10	12–70
	योग		किता 1	**2–10**		**12–70**

उक्तानुसार **अन्तिम डिक्री** जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशीयल स्टाम्प प्रस्तुत करें तव डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 31/03/2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्साह चौधरी, I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजोलियाँ जि -भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17/3/21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित है पूर्व पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने से पत्रावली पुनः बहस हेतु दि० 24/03/21 को पेश हो [signature]
24/3/21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित है बहस सुनी गयी वकील वादी ने प्रार्थ बटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया पत्रावली वास्ते आदेश दि० 31/3/21 को पेश हो [signature]
31/3/21	पत्रावली पेश हुई वकील एवं पैरोकार सरकार उपस्थित है मानने [illegible] तहसीलदार [illegible] किया से प्राप्त प्रारम्भिक डिक्री की पालन आख्या मय नक्शा एवं योजना अनुसार प्राप्त जो वकील पक्षकारान स्वीकार किये जाने से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है [illegible] प्राप्त होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे पत्रावली [illegible] नियमानुसार [illegible] दाखिल दफ्तर हो [signature]